लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 443

जिसका उत्तर बुधवार, 27 नवंबर, 2024 को दिया जाएगा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

443. डॉ. कडियम काव्य:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का सख्ती से अनुपालन कर रही हैं, जिसमें उपभोक्ता आयोगों द्वारा शिकायतों के समाधान के लिए तीन माह (90 दिन) का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से तेलंगाना में लंबित मामलों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और औसत स्थगन अवधि (दिनों में) कितनी है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) उपभोक्ता मामले विभाग प्रगतिशील कानून बनाकर उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रहा है। वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकियों, ई-कॉमर्स बाजार आदि के नए युग में उपभोक्ता संरक्षण को नियंत्रित करने वाले ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को निरस्त कर दिया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को अधिनियमित किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उपभोक्ता विवादों का सरल और त्वरित निवारण प्रदान करने के लिए जिला, राज्य और केंद्रीय स्तर पर त्रि-स्तरीय अर्ध-न्यायिक तंत्र का प्रावधान है, जिसे आमतौर पर "उपभोक्ता आयोग" के रूप में जाना जाता है।

इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38 (7) के अनुसार, प्रत्येक शिकायत का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा और शिकायत का निपटान विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, यदि शिकायत में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता नहीं है एवं जहां शिकायत में वस्तुओं के विश्लेषण या परीक्षण की आवश्यकता है, वहाँ पांच महीने के भीतर किया जाएगा।

अंतिम उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में यह उल्लेख है कि उपभोक्ता आयोगों द्वारा तब तक कोई स्थगन को मंजूरी प्राप्त नहीं होगी जब तक की इसके पर्याप्त कारण न दर्शाए जाएं और स्थगन संबंधी कारणों को आयोग द्वारा लिखित रूप में दर्ज न किया गया हो

(ख) 22.11.2024 तक, तेलंगाना के उपभोक्ता आयोगों में लंबित उपभोक्ता मामलों की कुल संख्या 8,021 है।

तेलंगाना में पिछले तीन वर्षों के दौरान दायर एवं निपटाए गए मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	वर्ष के दौरान दायर किए गए मामले	वर्ष के दौरान निपटाये गए मामले (इसमें पिछले वर्षों में दायर एवं निपटाए गए मामले भी शामिल हैं)
2022	4416	5395
2023	4001	4581
2024 (22.11.2024 तक)	3540	3644
कुल	11957	13620

****